CURRENT AFFAIRS

Result Mitra

NEWS FOR UPSC

UPSC, IAS/PCS

State Exam

All Exam

06 Feb. 2025

ABHAY Sir

❖ Topic 1:- 'विजय दुर्ग' कहलाएगा 'फोर्ट विलियम

❖ Topic 2:– भारत-जापान इस्पात वार्ता (4 फरवरी 2025) – मुख्य बिंदु

❖ Topic 3:– वन की परिभाषा और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

❖ Topic 4:- नेतन्याहू और ट्रंप का गाजा प्लान

❖ Topic 5:- केंद्रीय बजट 2025-26: MSME वर्गीकरण और नई पहल

'विजय दुर्ग' कहलाएगा 'फोर्ट विलियम

- कोलकाता स्थित भारतीय सेना की पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर 'विजय दुर्ग' कर दिया गया है।
- यह नाम परिवर्तन उपनिवेशवाद की विरासत से अलग होने की पहल के तहत किया गया है।
- नया नाम छत्रपति शिवाजी महाराज को श्रद्धांजलि स्वरूप रखा गया है।
- छत्रपति शिवाजी को भारतीय इतिहास में राष्ट्रवाद के प्रतीक के रूप में माना जाता है।
- नया नाम महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग तट पर स्थित एक प्राचीन किले के नाम पर रखा गया है।

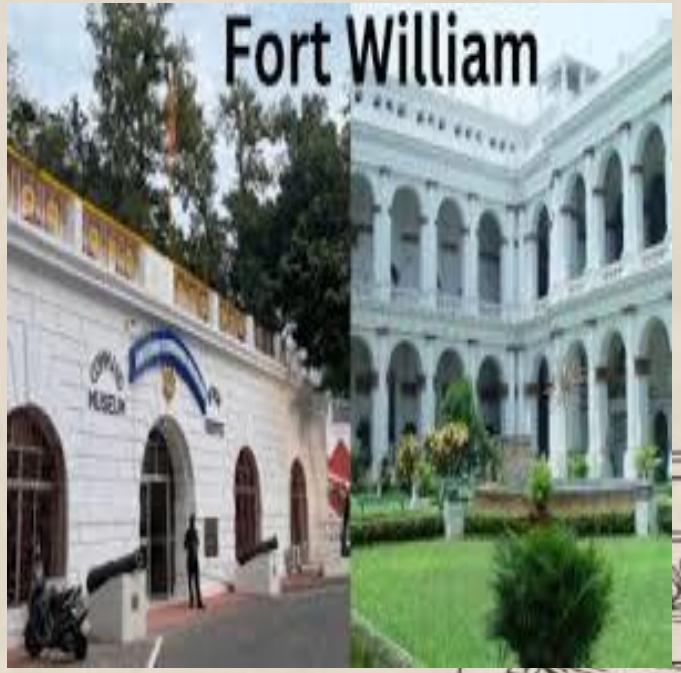

- यह किला छत्रपति शिवाजी महाराज के शासनकाल में एक महत्वपूर्ण नौसैनिक अड्डा था।
- सेना ने अपने विशाल परिसर के अंदर कुछ ऐतिहासिक इमारतों के नाम भी बदले हैं।
- यह बदलाव केन्द्र सरकार द्वारा औपनिवेशिक पहचानों से मुक्त करने के प्रयासों का हिस्सा है।
- रक्षा मंत्रालय ने कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम और इसकी कुछ अन्य इमारतों के नाम बदलने की जानकारी दी।
- सेना ने सेंट जॉर्ज गेट का नाम बदलकर 'शिवाजी द्वार' कर दिया है।

Result Mitra

- किचनर हाउस का नाम बदलकर 'मानेकशा हाउस' रखा गया है।
- किले और अन्य ऐतिहासिक इमारतों के नाम बदलने का निर्णय नवंबर-दिसंबर 2023 में लिया गया था।
- सेना ने रसेल ब्लॉक का नाम बदलकर 'बाघा जतिन ब्लॉक' रखा है।
- यह नाम स्वतंत्रता सेनानी जतिन्द्रनाथ मुखर्जी (बाघा जतिन) के सम्मान में रखा गया है।
- 1915 में ओडिशा के बालासोर में ब्रिटिश पुलिस की गोलीबारी में बाघा जतिन शहीद हो गए थे।

- फोर्ट विलियम का निर्माण 1781 में ब्रिटिश साम्राज्य के पूर्वी क्षेत्र के प्रतीक के रूप में किया गया था।
- इस किले का नाम इंग्लैंड के राजा विलियम तृतीय के नाम पर रखा गया था।
- नाम परिवर्तन का एक कारण यह भी है कि विलियम तृतीय भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण नहीं थे।
- फोर्ट विलियम परिसर 170 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें कई ऐतिहासिक और आधुनिक संरचनाएं शामिल हैं।
- 1962 के चीन-भारत युद्ध के बाद 1963 में इसे पूर्वी सेना कमान का मुख्यालय बना दिया गया।
- इससे पहले पूर्वी कमान का मुख्यालय लखनऊ में स्थित था।

❖ फोर्ट विलियम (Fort William) – UPSC के लिए महत्वपूर्ण तथ्य

❖ फोर्ट विलियम भारत के कोलकाता शहर में स्थित एक ऐतिहासिक किला है, जिसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बनाया गया था। यह किला भारतीय इतिहास, विशेष रूप से ब्रिटिश शासन और सैन्य प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण है।

1. निर्माण और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

❖ फोर्ट विलियम का निर्माण 1696 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा शुरू किया गया था।

❖ इसे इंग्लैंड के राजा विलियम तृतीय के नाम पर रखा गया था।

❖ 1756 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने इस किले पर कब्जा कर लिया, लेकिन 1757 के प्लासी युद्ध के बाद ब्रिटिशों ने इसे फिर से अपने नियंत्रण में ले लिया।

❖ वर्तमान किले का निर्माण 1781 में ब्रिटिश साम्राज्य के पूर्वी क्षेत्रीय मुख्यालय के रूप में किया गया था।

2. स्थापत्य और संरचना

❖ यह किला हुगली नदी के पूर्वी तट पर स्थित है।

❖ किले का क्षेत्रफल 170 एकड़ से अधिक है और इसमें कई औपनिवेशिक और आधुनिक संरचनाएं हैं।

❖ यह छह द्वारों वाला एक विशाल किला है, जिसे ब्रिटिश सैन्य शक्ति के प्रतीक के रूप में बनाया गया था।

❖ इसके अंदर ब्रिटिश काल के कई महत्वपूर्ण हॉल, बैरक और संग्रहालय स्थित हैं।

भारत-जापान इस्पात वार्ता (4 फरवरी 2025) – मुख्य बिंदु

1. आयोजन एवं नेतृत्व

- **स्थान:** विज्ञान भवन, नई दिल्ली
- **अध्यक्षता:**
- **भारत:** इस्पात मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री विनोद कुमार त्रिपाठी
- **जापान:** एमईटीआई के उप महानिदेशक श्री हिदेयुकी उराता

2. मुख्य चर्चाएं

- दोनों देशों की आर्थिक स्थिति और इस्पात उद्योग के परिदृश्य
- नवीनतम उद्योग रुझान और अंतरराष्ट्रीय इस्पात बाजार पर चर्चा
- भारत में कारोबारी सुगमता और इस्पात क्षेत्र में सरकारी रणनीतियां
- ग्रीन स्टील रिपोर्ट और ग्रीन स्टील वर्गीकरण
- यूरोपीय संघ के कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (EU CBAM) पर विचार-विमर्श

3. भारतीय पक्ष द्वारा प्रस्तुत पहलें

- बुनियादी ढांचे में निवेश से इस्पात मांग में वृद्धि
- अनुसंधान एवं विकास (R&D) को बढ़ावा
- जापानी निवेशकों के लिए अवसरों की पहचान

4. जापानी पक्ष का योगदान

- जापानी इस्पात उद्योग की वर्तमान प्रगति और आर्थिक विकास की जानकारी
- क्षमता निर्माण कार्यक्रमों और आपसी हितों पर चर्चा
- भारत में नई इस्पात प्रौद्योगिकियों में निवेश के प्रति प्रतिबद्धता

5. मुख्य निष्कर्ष एवं भविष्य की योजनाएं

- प्रौद्योगिकी सहयोग और कौशल विकास को बढ़ावा
- रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की प्रतिबद्धता
- जापानी कंपनियों के लिए भारत में कारोबारी सुगमता सुनिश्चित करना
- नवाचार, सतत विकास और इस्पात उत्पादन में सहयोग

6. पृष्ठभूमि और संदर्भ

- यह वार्ता 2020 में हस्ताक्षरित भारत-जापान इस्पात सहयोग ज्ञापन (MoC) के तहत आयोजित की गई।
- भारत-जापान इस्पात वार्ता द्विपक्षीय सहयोग, उत्पाद विविधीकरण और कार्यस्थल सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक संस्थागत तंत्र के रूप में कार्य करती है।

वन की परिभाषा और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

Result Mitra

1. **सुप्रीम कोर्ट का आदेश** – सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक केंद्र और राज्यों को वन क्षेत्र कम करने से रोक दिया है।

2. **वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 संशोधन** – 2023 के संशोधनों को चुनौती दी गई, जिससे लगभग 1.99 लाख वर्ग किलोमीटर वन भूमि "वन" की परिभाषा से बाहर हो गई।

3. **1996 का सुप्रीम कोर्ट निर्णय** – टी. एन. गोदावर्मन तिरुमलपाद बनाम भारत संघ वाद में वन की व्यापक परिभाषा दी गई।

4. **वन की परिभाषा** – स्वामित्व, मान्यता और वर्गीकरण की परवाह किए बिना, सरकारी (संघ और राज्य) रिकॉर्ड में "वन" के रूप में दर्ज सभी क्षेत्रों को वन माना जाएगा।

5. **2024 का निर्देश** – सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को 1996 की परिभाषा का पालन करने का आदेश दिया।

❖ भारत में वन की परिभाषा - 1996

❖ भारत सरकार ने वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 और इसके तहत 1996 में वन की परिभाषा में महत्वपूर्ण बदलाव किए थे।

❖ यह बदलाव "संशोधन" के रूप में था, जो विशेष रूप से वन क्षेत्र की पहचान और संरक्षण से संबंधित था।

❖ वन की परिभाषा (1996 के तहत)

❖ 1996 में भारत सरकार ने वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में संशोधन किया था, जिसमें "वन" की परिभाषा को और स्पष्ट किया गया। इस परिभाषा में निम्नलिखित तत्व शामिल किए गए:

1. वन का क्षेत्र:

❖ 1996 के संशोधन के अनुसार, वन से तात्पर्य किसी भी प्राकृतिक या मानव-निर्मित क्षेत्र से है जहां पेड़, झाड़ियाँ, घास, बांस, और अन्य पौधे प्राकृतिक रूप से उगते हैं या जिन्हें सरकारी विभाग द्वारा वन के रूप में अधिसूचित किया गया है।

2. प्राकृतिक वनस्पति:

❖ यह परिभाषा प्राकृतिक वनस्पतियों को भी शामिल करती है, जो जीवन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। पेड़-पौधे, झाड़ियाँ, और घास के अलावा, वन्यजीव, जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण भी वन के अंतर्गत आता है।

3. संविधान में वन की परिभाषा:

❖ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48A में सरकार को पर्यावरण के संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा का कर्तव्य सौंपा गया है। यह भी वन संरक्षण के प्रयासों का हिस्सा है।

❖ **1996 के संशोधन से संबंधित महत्वपूर्ण पहलू:**

❖ **संविधानिक आधार पर:** 1996 में वन संरक्षण अधिनियम में संशोधन के तहत, यह स्पष्ट किया गया कि वन का कोई भी हिस्सा, चाहे वह केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित हो या राज्य सरकार के द्वारा, वन संसाधन के रूप में मान्य होगा और उसका संरक्षण किया जाएगा।

❖ **पारिस्थितिकी तंत्र और वन्यजीव:** अब "वन" की परिभाषा में न केवल पेड़-पौधों की विविधता, बल्कि उस क्षेत्र का पारिस्थितिकी तंत्र और उसमें रहने वाले जीवों की सुरक्षा भी शामिल की गई।

❖ **महत्वपूर्ण पहलु:**

❖ **वन संरक्षण:** 1996 के संशोधन के बाद, वन क्षेत्रों का संरक्षण और उनकी रक्षा की प्रक्रिया को और अधिक सख्त किया गया। इसके तहत सरकार को अधिकार मिला कि वह बिना अनुमति के किसी भी वन क्षेत्र की कटाई या उपयोग की अनुमति नहीं दे सकती।

❖ **ध्यान देने योग्य:** इस संशोधन के बाद से वन क्षेत्र की पहचान और उसका कानूनी संरक्षण सशक्त हुआ और यह भी सुनिश्चित किया गया कि जिन क्षेत्रों को "वन" माना जाता है, उन पर किसी प्रकार की विकासात्मक गतिविधि के लिए पहले अनुमति लेना आवश्यक है।

1. भारत में वन संसाधन (Forest Resources of India)

❖ भारत दुनिया के वन-संपन्न देशों में से एक है। "इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट (ISFR)" के अनुसार, भारत का कुल वन क्षेत्र लगभग 21.71% (ISFR 2021) है।

2. भारत में वन प्रकार (Types of Forests in India)

❖ भारतीय वन मुख्यतः निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित हैं:

❖ उष्णकटिबंधीय वर्षा वन (Tropical Rainforests) – पश्चिमी घाट, अंडमान-निकोबार द्वीप समूह, पूर्वोत्तर भारत

❖ उष्णकटिबंधीय पतझड़ी वन (Tropical Deciduous Forests) – मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा

❖ कंटीले एवं शुष्क वन (Thorn & Dry Forests) – राजस्थान, गुजरात

❖ समशीतोष्ण वन (Temperate Forests) – हिमालयी क्षेत्र

❖ अल्पाइन एवं टुंड्रा वन (Alpine & Tundra Forests) – लद्दाख, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश

3. भारत में वन संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण कानून एवं योजनाएँ

- भारतीय वन अधिनियम, 1927 (Indian Forest Act, 1927)
- वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (Forest Conservation Act, 1980)
- जैव विविधता अधिनियम, 2002 (Biological Diversity Act, 2002)
- राष्ट्रीय वन नीति, 1988 (National Forest Policy, 1988)
- संविधान में वन संरक्षण (अनुच्छेद 48A और 51A(g))

4. वन संरक्षण हेतु प्रमुख सरकारी योजनाएँ

- राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (National Afforestation Programme - NAP)
- ग्रीन इंडिया मिशन (Green India Mission - GIM)
- CAMPA (Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority)
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) की पहल

5. भारत में वनों से जुड़े प्रमुख मुद्दे

- ❖ वनों की कटाई (Deforestation)
- ❖ जलवायु परिवर्तन का प्रभाव
- ❖ मानव-वन्यजीव संघर्ष
- ❖ आदिवासी अधिकार बनाम वन संरक्षण

नेतन्याहू और ट्रंप का गाजा प्लान

- अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की।

- ट्रम्प ने कहा कि गाजा में तबाही के कारण फिलिस्तीनियों के पास वहां से जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा।

- उन्होंने सुझाव दिया कि जॉर्डन और मिस्र फिलिस्तीनियों को शरण दें।

- ट्रम्प ने प्रस्ताव रखा कि अमेरिका गाजा पर कब्जा करके उसे फिर से विकसित करेगा।

- उनका मानना है कि फिलिस्तीनियों को किसी नई जगह पर बसाना ज्यादा बेहतर होगा।

- नेतन्याहू ने ट्रम्प के इस प्लान का समर्थन किया और इसे ऐतिहासिक बदलाव बताया।

❖ इजराइल के तीन मुख्य लक्ष्य बताए गए:

1. बंधकों को आजाद कराना।
2. गाजा में पहले से तय सैन्य उद्देश्यों को पूरा करना।
3. हमास की सैन्य ताकत को पूरी तरह खत्म करना।

❖ नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल इन तीनों लक्ष्यों को हासिल करेगा।

❖ ट्रम्प-नेतन्याहू प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुख्य बिंदु:

❖ नेतन्याहू ने ट्रम्प की तारीफ की:

❖ कहा कि ट्रम्प व्हाइट हाउस में इजराइल के सबसे अच्छे दोस्त हैं।

❖ इजराइली बंधकों की रिहाई का श्रेय ट्रम्प को दिया।

❖ ट्रम्प की लीडरशिप से बंधक अपने घर लौट पाए।

❖ ट्रम्प का गाजा पर बयान:

- ❖ अमेरिका गाजा का कंट्रोल ले सकता है।
- ❖ वहां मौजूद बमों और खतरनाक हथियारों को हटा सकता है।
- ❖ नष्ट हो चुकी इमारतों को साफ करके री-डेवलपमेंट कर सकता है।
- ❖ आर्थिक विकास से रोजगार और घरों की असीमित व्यवस्था हो सकेगी।

❖ मिडिल ईस्ट में शांति की योजना:

- ❖ ट्रम्प ने कहा कि गाजा पर कब्जा और पुनर्निर्माण से मिडिल ईस्ट में शांति आ सकती है।
- ❖ इस योजना को दुनिया के शीर्ष नेताओं का समर्थन मिला है।
- ❖ कहा कि उन्होंने महीनों तक गाजा की स्थिति का अध्ययन किया है।

❖ **ट्रम्प का मिडिल ईस्ट दौरे का ऐलान:**

❖ जल्द ही इजराइल, गाजा, सऊदी अरब और अन्य मिडिल ईस्ट देशों का दौरा करेंगे।

❖ मिडिल ईस्ट को खूबसूरत और शानदार लोगों का क्षेत्र बताया।

❖ कहा कि वहां के खराब नेतृत्व ने समस्याएं पैदा कर दी हैं।

❖ **नेतन्याहू और ट्रम्प के बयान**

❖ नेतन्याहू ने ट्रम्प की तारीफ की

❖ इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की प्रशंसा की।

❖ उन्होंने कहा कि ट्रम्प व्हाइट हाउस में इजराइल के अब तक के "सबसे अच्छे दोस्त" रहे हैं।

❖ नेतन्याहू ने इजराइली बंधकों की रिहाई का श्रेय ट्रम्प को दिया।

❖ उन्होंने कहा कि ट्रम्प की लीडरशिप की वजह से बंधक अपने घर लौट सके।

❖ मिडिल ईस्ट दौरे की घोषणा

❖ ट्रम्प ने कहा कि वे जल्द ही इजराइल, गाजा, सऊदी अरब और अन्य मिडिल ईस्ट देशों का दौरा करेंगे।
❖ उन्होंने मिडिल ईस्ट को "शानदार और खूबसूरत जगह" बताया।
❖ उनके अनुसार, वहां के लोगों की समस्याओं के लिए "खराब नेतृत्व" जिम्मेदार है।

❖ इजराइल-गाजा विवाद और अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं

❖ हमास की प्रतिक्रिया

❖ हमास ने ट्रम्प के गाजा नियंत्रण के प्रस्ताव को खारिज कर दिया।
❖ हमास के वरिष्ठ अधिकारी सामी अबू जुहरी ने इसे "तनाव बढ़ाने का नुस्खा" बताया।

Result Mitra

- हमास ने कहा कि उनके लोग इस योजना को लागू नहीं होने देंगे।
- बयान में कहा गया कि कब्जे और हमलों को खत्म करना प्राथमिकता होनी चाहिए, न कि जबरन बेदखली।

अन्य देशों और संगठनों की प्रतिक्रिया

- मिस्र और जॉर्डन ने भी ट्रम्प की योजना को खारिज कर दिया।
- संयुक्त राष्ट्र में फिलीस्तीनी प्रतिनिधि ने कहा कि वर्ल्ड लीडर्स को फिलिस्तीनियों की इच्छाओं का सम्मान करना चाहिए।

❖ इजराइल-हमास युद्धविराम और शांति वार्ता

- ❖ 19 जनवरी को इजराइल-हमास के बीच 15 महीने बाद सीजफायर हुआ।
- ❖ अमेरिका दोनों पक्षों पर युद्धविराम बनाए रखने का दबाव बना रहा है।
- ❖ 3 फरवरी से सीजफायर के अगले चरण पर चर्चा शुरू हुई।
- ❖ मकसद युद्ध को स्थायी रूप से खत्म करना है।
- ❖ नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति हथियार सप्लाई पर भी चर्चा कर सकते हैं।
- ❖ बाइडेन प्रशासन ने इजराइल को भारी बमों की सप्लाई रोक दी थी।
- ❖ ट्रम्प ने मिडिल ईस्ट में अपने विशेष प्रतिनिधि स्टीव विटकॉफ को भेजा।

❖ सीजफायर के बाद फिलिस्तीनियों की वापसी

❖ 19 जनवरी को सीजफायर लागू होने के बाद 3 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनी नॉर्थ गाजा लौटे।
❖ 27 जनवरी को इजराइल ने फिलिस्तीनियों को नॉर्थ गाजा लौटने की मंजूरी दी।
❖ जंग के दौरान 10 लाख से ज्यादा लोग साउथ गाजा चले गए थे।

❖ अल जजीरा की रिपोर्ट:

❖ 47,000 से ज्यादा लोग मारे गए।
❖ 1.10 लाख से ज्यादा घायल हुए।
❖ सीजफायर डील के तहत 25 जनवरी से फिलिस्तीनियों को वापसी की अनुमति मिलनी थी।
❖ हमास-इजराइल विवाद के कारण इसमें 2 दिन की देरी हुई।

केंद्रीय बजट 2025-26: MSME वर्गीकरण और नई पहल

Result Mitra

❖ MSME वर्गीकरण में संशोधन

❖ MSME की परिभाषा के तहत निवेश सीमा और टर्नओवर सीमा को क्रमशः 2.5 गुना और 2 गुना तक बढ़ाया गया।

❖ इससे MSMEs को अधिक पूंजी, तकनीकी सुधार और कार्यकुशलता बढ़ाने में सहायता मिलेगी।

❖ MSME क्षेत्र के लिए बजट घोषणाएँ

❖ ऋण गारंटी कवर की सीमा 5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये की गई।

❖ उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमों के लिए 10 लाख कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे।

❖ प्रत्येक क्रेडिट कार्ड से अधिकतम 5 लाख रुपये तक खर्च किए जा सकेंगे।

❖ निर्यात संवर्धन मिशन की शुरुआत होगी, जिसके उद्देश्य:

❖ निर्यात ऋण प्राप्ति को सुगम बनाना

❖ MSMEs को विदेशी बाजारों में गैर-टैरिफ बाधाओं से निपटने में सहायता प्रदान करना

❖ स्टार्टअप के लिए विशेष प्रावधान

❖ 10,000 करोड़ रुपये का "फंड ऑफ फंड्स" स्थापित किया जाएगा।

❖ यह नवाचार और स्टार्टअप्स को वित्तीय सहयोग प्रदान करेगा।

❖ भारतीय अर्थव्यवस्था में MSME का महत्त्व

❖ **रोजगार सृजन:** भारत में 1 करोड़ से अधिक पंजीकृत MSMEs हैं, जो लगभग 7.5 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं।

❖ **विनिर्माण में योगदान:** देश के कुल विनिर्माण उत्पादन में 36% भागीदारी MSMEs की है।

❖ **निर्यात में हिस्सेदारी:** भारत के कुल निर्यात में MSMEs का योगदान 45% है, जिससे वैश्विक बाजार में उनकी अहम भूमिका बनती है।

MSMEs परिभाषा के लिए वर्गीकरण मानदंड में संशोधन

उद्यम के प्रकार	अधिकतम निवेश में संशोधन	अधिकतम टर्नओवर में संशोधन
सूक्ष्म	1 करोड़ रूपये से बढ़ाकर 2.5 करोड़ रूपये	5 करोड़ रूपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रूपये
लघु	10 करोड़ रूपये से बढ़ाकर 25 करोड़ रूपये	50 करोड़ रूपये से बढ़ाकर 100 करोड़ रूपये
मध्यम	50 करोड़ रूपये से बढ़ाकर 125 करोड़ रूपये	250 करोड़ रूपये से बढ़ाकर 500 करोड़ रूपये

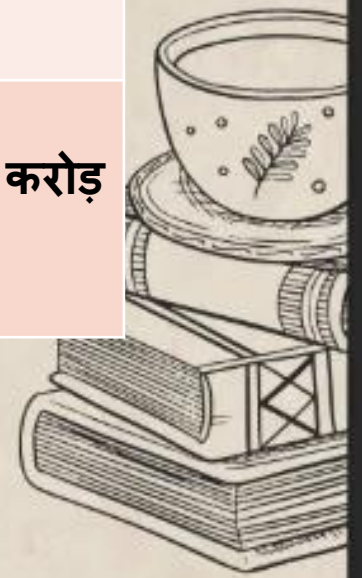

THANK YOU

@resultmitra / 8650457000

@resultmitra

@resultmitra

Result Mitra

+ SUBSCRIBE